निर्णय बइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर ए एस उपखण्ड
अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां राज. अध्यक्षित
प्रकरण सं: 52/2018 दावा
दायरा दिनांक:- 26.4.2018
निर्णय दिनांक:- 19.7.18

<u>उनवान</u>

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति काछी
2. तेजकरण पुत्र मांगीलाल जाति काछी
3. भगवती बाई पत्नी स्व. मांगीलाल जाति काछी निवासी छीपाबड़ौद

<u>बनाम</u>

1. चन्द्रकला बाई पत्नी मंगलाल जाति नाथ
2. जितेन्द्र पुत्र मंगलाल जाति नाथ
3. हेमराज पुत्र मंगलाल जाति नाथ निवासी वार्ड नं. 23 छीपाबड़ौद

दावा अन्तर्गत धारा 183 RTA
निर्णय दिनांक:- 19.7.18

अभिभाषक वादी गण द्वारा दावा पेश अन्तर्गत धारा 183 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 57 रकबा 6.10 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1.05 बीघा, ख.नं. 124 रकबा 2.03 बीघा, ख.नं. 1409/136 रकबा 2.02 बीघा, ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 रकबा 13 बीघा मौजा छीपाबड़ौद में स्थित है जो वादी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही थी। आज से लगभग 4 माह पूर्व वादी क्र. 1 की पत्नी अत्यधिक बीमार हो जाने से वादीगण उनके ईलाज हेतु बाहर चले गये थे तथा वादीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर प्रतिवादी गण ने उक्त वर्णित आराजी में से ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा पर नाजायज कब्जा करके उसमें आरामशीन लगा दी। वादीगण वापस छीपाबड़ौद आये तो वादीगण को पता लगा कि प्रतिवादी गण ने उक्त वर्णित आराजी में से ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा पर नाजायज कब्जा कर लिया है तथा उसमें आरामशीन लगा दी है तथा हरे पेड़ों को काट

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

रहे है। वादी गण ने प्रतिवादी गण से अपना कब्जा हटाकर वादी गण को कब्जा संभलाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी गण ने मना कर दिया तथा प्रतिवादी गण ने वादी गण को धमकी दी की यह महिला है तथा मुझे बेदखल करने का प्रयास किया तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फसा दूंगी तुम्हारे खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन मुकदमे दर्ज करवा दूंगी। प्रतिवादी गण ने अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी से लाईसेन्स प्राप्त किये वादीगण की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करके आरामशीन लगा रखी है। जिसकी शिकायत वादी गण द्वारा वन विभाग से भी की लेकिन उनके द्वारा भी उक्त आरामशीन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की है। प्रतिवादी गण वादी गण की भूमि ख.नं. 1451/111 रकबा। बीघा पर अतिक्रमी है और अतिक्रमी की हैसियत से अवैध रूप से कब्जा बनाये हुए है तथा हरे भरे पेडों को काट रहे है तथा अवैध रूप से आरामशीन संचालित कर रहे है प्रतिवादीगण कामिल वेदपाली हो बाद कारण आज से लगभग पचास पूर्व वादीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर प्रतिवादी गण ने वादी गण की आराजी पर अवैध रूप से जबरन कब्जा करके उसमें अवैध आरामशीन लगाकर हरे भरे पेडो को काटने पर तथा वादी गण के द्वारा अन्तिम बार दिनांक 20.4.2018 को वादीगण की भूमि पर से अपना कब्जा हटाकर वादीगण को कब्जा संभलाने का निवेदन करने पर उनके द्वारा कब्जा छोडने की मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजि. कर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी तलब किया गया। प्रतिवादी गण की तलबी नोटिस रजि. एडी करवाई गई। प्रतिवादी गण बावजूद इत्तला के न्याया. में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी गण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी जम छीपाबडौद संवत 2069-72 भाग सं.1 के अनुसार शंकरलाल, तेजकरण, पुत्र मांगीलाल हि. 4/5, भगवतीबाई बेवा मांगीलाल हि. 1/5 दर्ज होना पाया जाता है, जो पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 शंकर लाल, PW2 तेजकरण, PW3 ओमप्रकाश, PW4 रामस्वरूप का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी गण सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि ~~वाद~~ विवादित आराजी वादी गण के जोर एवं कब्जे काश्त की है प्रतिवादी गण द्वारा वादी गण के खातेदारी एवं

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

(3)

कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा पर जबरन कब्जा करके उनके आराजीयात लगा दी तथा हरे भरे पेड़ो को काट रहे है प्रार्थी वादी गण से बात नही करते व पेड़ो को नही काटने की कहने पर झूठा मुकदमा व बलात्कार जैसे मुकदमे मे फंसाने की धमकी दी गई। तथा वादी गण से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए। प्रार्थी वादी गण को वादी गण के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर आराजीयात लगाने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी वादी गण को वादी गण की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी गण को दिया जावे तथा प्रार्थी वादी गण को अतिक्रमी घोषित किया जावे

बहस अभिभाषक वादी गण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम छीपाबडौद सम्वत 2069-72 खाता नं. 1 के अनुसार श्रीकल्याण, ...कल्याण पुत्र मांगीलाल, रहे 4/5, भगवतीबाई बेवा मांगीलाल रहे 1/5 दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रार्थी वादी गण द्वारा न्यायालय मे उप. होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया इससे भी यह साबित होता है कि प्रार्थी वादी गण द्वारा वादी गण के खाते की भूमि ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा पर जबरन अतिक्रमण कर आराजीयात लगा ली है प्रार्थी वादी गण को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किया जाना ~~न्याय~~ न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम छीपाबडौद के ख.नं. 1451/111 रकबा 1 बीघा पर प्रार्थी वादी गण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। प्रार्थी वादी गण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल ...)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 52/18

समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद | धारा अंतर्गत 183 RTA | निर्णय दिनांक 19.7.18

उपस्थिति - अभिभाषक वादी Sh. L.K. Sharma | अभिभाषक प्रतिवादी नि.प.

वाद शीर्षक

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति काछी
2. तेजकरण पुत्र मांगीलाल जाति काछी
3. ~~[illegible]~~ बाई पत्नी स्व. मांगीलाल जाति काछी नि. छीपाबड़ौद

बनाम

1. चन्द्रकला बाई पत्नी मंगलाल जाति नाथ
2. जितेन्द्र पुत्र मंगलाल जाति ~~नाथ~~ नाथ
3. हंसराज पुत्र मंगलाल जाति नाथ निवासी वार्ड 5.23 छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी आराजी वाके ग्राम छीपाबड़ौद के ख.नं. 5-1453/111 रकबा 2 बीघा पर प्रतिवादी गण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी गण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार.................................रू0 का व्यायानुतोष..............................द्वारा...............................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.7.18 को निर्गत किया गया।

उपजिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)
छीपाबड़ौद जिला बारां

(मुद्रा: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner